तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म

18/11/21 [illegible] प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर [illegible] के बीच हुई। जमीन कुर्की की विधि के अधिक अपील की वादी की मृत्यु हो चुकी है जो रेकार्ड पर है एवं पूर्व के मय वाद की तामीली भी वादी की मृत्यु होना पाया गया है। अब ही प्रशासन गांवों के संग अभियान [illegible] के मध्य आम आदमियों को बताया गया कि वादी इस्तगासा की मृत्यु हो चुकी है। अब वादी अधि० वादी द्वारा शिविर अभियान की विधि पर नहीं लिया गया है। अतः विधि में वादी का वाद कायम मु० के अभाव में खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अब ही प्रतिवादी गण (कोर्स वादी) गण को की तरफ से कार्यवाही नहीं चाहने-चाहने का अभिवचन किया गया जिसकी तस्दीक सरपंच ग्राम पंचायत लसाड़िया कलां एवं आमजन द्वारा की गई। ऐसी स्थिति में वादी का वाद एवं प्रतिवादी गण व 2 (कोर्स वादी) का वाद खारीज किया जाता है। अपीलकर्ता की अपील निर्णय इन्तजार की जाकर बाद अवलोकन कार्यवाही [illegible] मुजरा अधि० [illegible] अभि के अनुसार [illegible]

निर्णय मिति 18/11/21

वादी

प्रतिवादी

वादी एवं प्रतिवादी

को नोट कराया जाता है खारीज किया जावे

सरपंच

प्रकाशचन्द्र

सरपंच
ग्राम पंचायत लसाड़िया कलां
पं.स. राशमी, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.11.23 11:36:56 IST
Reason: SelfAttested

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned by CamScanner